उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-1042/78-1-2020-25/2012

लखनऊः दिनांकः 13 अगस्त, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-813/78-1-2020-25/2012 दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 अधिसूचित की गई है। उ0प्र0 स्टार्ट-अप नीति-2020, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए वैध है तथा समस्त उद्योग क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए प्रभावी होगी।

2- उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के बिन्दु 6.3 में उक्त नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित निर्णय लेने, अंतर-विभागीय सहयोग अथवा नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा सन्दर्भित किसी भी अन्य मुद्दों पर नीति-निर्धारण हेतु नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पीएमआईसी) की व्यवस्था है। स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न विभागों की प्रगति की मासिक समीक्षा पीएमआईसी द्वारा की जाएगी।

3- उक्त नीति में प्रदत व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के प्रभावी कार्यान्वयन से सम्बन्धित अथवा पीआईयू द्वारा सन्दर्भित किन्हीं अन्य बिन्दुओं पर आवश्यक निर्णय हेतु नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पीएमआईसी) का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उ0प्र0 शासन।	सदस्य

8	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
9	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
10	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
11	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
12	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
13	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
14	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं नगरीय विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
15	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य सचिव

4- इसके अतिरिक्त, अन्य विभागों जैसाकि समय-समय पर पीएमआईसी के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाता है, के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव इस समिति के सदस्य होंगे।

5- समिति के चार्टर के अनुसार विभिन्न विभागों के सहयोग एवं समन्वय द्वारा इन्क्यूबेटर्स/इन्नोवेशन हब, सेक्टोरल फण्ड्स की स्थापना, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा तथा स्टार्ट-अप रैंकिंग फ्रेमवर्क के अन्तर्गत 3 शीर्ष राज्यों में स्थान अर्जित करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से सम्बन्धित होगा।

6- नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इन्क्यूबेटर्स के कार्य-प्रदर्शन के समय-समय पर मूल्यांकन के लिए, पीएमआईसी द्वारा प्रमुख कार्यप्रदर्शन संकेतकों पर भी अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। इन्क्यूबेटर्स के कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन एक वाह्य संस्था द्वारा किया जायेगा और सीधे पीएमआईसी को रिपोर्ट किया जाएगा।

7- उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु नामित कार्यदायी/नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा समिति के उपरोक्त कार्यकलापों हेतु आवश्यक कार्यवाही/समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1042(1)78-1-2020 एवं तद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 समिति के समस्त सदस्यगण।

2 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3 अधिशासी निदेशक, उद्‌योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।

4 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

5 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6 प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

7 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयक्त सचिव।